

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या : 113/2025

प्रार्थी

रमेशलाल शर्मा

वनाम

राज. राज्य जरिये तहसीलदार झंवर

अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.06.25	<p>प्रार्थी रमेशलाल शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा निवासी झंवर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम झंवर की जमावंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 59 में अपना नाम रमेशलाल पुत्र सत्यनारायण के स्थान पर रमेशलाल शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा करवाने का निवेदन किया है।</p> <p>प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की जांच हेतु तहसीलदार झंवर को तहरीर जारी कि गई। तहसीलदार झंवर के पत्रांक/राजस्व/कोट/2025/24 दिनांक 11.02.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम ग्राम झंवर के खाता संख्या 59 जमावंदी सम्वत 2074-77 में रमेशलाल पुत्र सत्यनारायण दर्ज है लेकिन प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में रमेशलाल शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा दर्ज है। भू. अ. निरीक्षक झंवर/हल्का पटवारी झंवर की रिपोर्ट में राजस्व रेकॉर्ड में रमेशलाल पुत्र सत्यनारायण के स्थान पर रमेशलाल शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा किया जाना उचित बताया है।</p> <p>अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार झंवर की रिपोर्ट के सलंग्न भू. अ. निरीक्षक झंवर/हल्का पटवारी झंवर अनुसार तहसीलदार झंवर को आदेश दिये जाते हैं। कि ग्राम झंवर के खाता संख्या 59 जमावंदी सम्वत 2074-77 में खातेदार रमेशलाल पुत्र सत्यनारायण के स्थान पर रमेशलाल शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।</p>	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी